भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

तारांकित प्रश्‍न सं0: 102

दिनांक: 29 जुलाई, 2015

**पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिश्रण**

**\*102. श्रीमती शशिकला पुष्पाः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पेट्रोल के साथ इथेनाल के मिश्रण की अनुमति दे दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पेट्रोल के साथ मिलाये जाने वाले इथेनॉल की मात्रा को बढ़ाने के संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री धर्मेन्‍द्र प्रधान)**

**(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।**

\*\*\*\*\*\*\*

**‘पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिश्रण’ के बारे में श्रीमती शशिकला पुष्पा द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्‍या 102 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर में उल्ल्‍िाखित विवरण।**

**(क):** सरकार ने वर्ष 2003 में एथेनाल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम शुरू किया था जिसके दायरे को बढ़ाकर 01 नवम्‍बर, 2006 से इसमें 20 राज्‍यों और 4 संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था और भारतीय मानक ब्‍यूरो विनिर्देशनों के अनुसार वाणिज्‍यिक व्‍यवहार्यता की शर्त पर तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को 5% ईबीपी की बिक्री करने का निर्देश दिया गया था।

 इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 22 नवंबर, 2012 को अन्‍य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया कि पूरे देश में पेट्रोल में 5% एथेनाल के अनिवार्य मिश्रण को कार्यान्‍वित किया जाए और इसके बाद से एथेनॉल का अधिप्राप्‍ति मूल्‍य ओएमसीज और एथेनॉल के आपूर्तिकर्ताओं के बीच तय किया जाएगा। उपर्युक्‍त निर्णय की अनुपालना में एमओपीएंडएनजी द्वारा एक राजपत्र अधिसूचना 02 जनवरी, 2013 को जारी की गई थी जिसमें ओएमसीज को पूरे देश में 5% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्‍य हासिल करने के लिए बीआईएस विनिर्दिशन के अनुसार 10% तक की प्रतिशतता के साथ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री करने का निर्देश दिया गया था।

 दिनांक 03 जुलाई, 2013 को सरकार ने अन्‍य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया कि ओएमसीज देश के उन क्षेत्रों/भागों में जहां एथेनॉल की पर्याप्‍त मात्रा उपलब्‍ध है, 5% एथेनॉल मिश्रण की अनिवार्य अपेक्षा पूरी करने के लिए घरेलू स्रोतों से एथेनॉल की अधिप्राप्‍ति करें। देश के अन्‍य भागों में 5% अनिवार्यता के स्‍तर तक पहुचने के लिए एथेनॉल की उपलब्‍धता पर निर्भर करते हुए एथेनॉल के मिश्रण को धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा।

 एथेनॉल की उपलब्‍धता बढ़ाने के लिए सरकार ने 10 दिसंबर, 2014 को ओएमसीज के डिपो/संस्‍थापना से आसवनी की दूरी पर निर्भर करते हुए एथेनॉल का मूल्‍य 48.50 रूपए से 49.50 रूपए प्रति लीटर के बीच तय किया है। इसके अलावा, पेट्रो रसायन रूट सहित सेल्‍यूलोजिक और लिग्‍नो सेल्‍यूलोजिक सामग्रियों जैसे शीरे के अलावा गैर-खाद्य फीड स्‍टॉक से उत्‍पादित एथेनॉल की अधिप्राप्‍ति करने की भी अनुमति दे दी गई है, बशर्ते संबंधित बीआईएस विनिर्देशन पूरे किए जाएं।

 तदनुसार, ओएमसीज एथेनॉल की उपलब्‍धता पर निर्भर करते हुए एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को कार्यान्‍वित कर रही हैं।

(ख): पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) को भारतीय चीनी मिल एसोसिएशन (आईएसएमए) से दिनांक 03 सितंबर, 2013 का एक अभ्‍यावेदन प्राप्‍त हुआ था जिसमें उन्‍होंने कुछ वर्षों में पूरे देश में 10% के मिश्रण के लक्ष्‍य तक पहुंचने की इच्‍छा जाहिर की थी। दिनांक 19 नवंबर, 2013 के एक अन्‍य अभ्‍यावेदन में आईएसएमए ने सरकार से अनुरोध किया था कि वह एक लचीले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को अपनाए जिसमें मिश्रण की प्रतिशतता उत्‍पादन की लागत के अनुरूप तय किए गए प्रीमियम मूल्‍य पर उपलब्‍ध जरूरत से ज्‍यादा गन्‍ने पर निर्भर करते हुए 5% से 25% हो।

(ग): एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्‍न कदमों का उल्‍लेख उपर्युक्‍त उत्‍तर के भाग(क) में किया गया है। एमओपीएंडएनजी शुल्‍कों/करों को कम करने/उन्‍हें युक्‍तिसंगत बनाने तथा एथेनॉल की आपूर्ति में आ रही अन्‍य बाधाओं को दूर करने तथा एथेनॉल के उपयोग के संबंध में विभिन्‍न राज्‍यों/संघ शासित प्रदेशों में प्रक्रिया/कराधान नीति में एकरूपता लाने के लिए समय-समय पर राज्‍य सरकारों के साथ इस मामले में बातचीत करता रहा है।

**\*\*\***